

73  
23/5/18

2018/00178  
Pass  
23/5/18

प्रपत्र-6

“खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र”  
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

सेवा

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बीसानवा की जमाबन्दी

संवत् 2074-75 खाता संख्या 71, 22 में -

मेरा नाम हादी वज्र है जबकी मेरा वास्तविक नाम  
अब्दुल हक है सभी कागजात राशन कार्ड परिवार पत्र  
साधारण कार्ड में अब्दुल हक वज्र मांझी के नाम से  
है। मेरा नाम हादी वज्र मांझी के स्थान पर  
अब्दुल हक वज्र मांझी ठिपा जावे

मैं जमीन इस मांझी प्राप्त हुआ है  
निज ही बीसानवा पट वज्र हादी वज्र मांझी  
कागजात दुरुस्ती विषय में के आदेश परमावे की कमाव  
हादी वज्र मांझी इसका जमाव करी  
सभी वज्र मांझी जबकि इसके कागजात राशन कार्ड  
साधारण कार्ड में अब्दुल हक वज्र मांझी  
है इसी नाम से जाते पहचाने जाते  
अतः इनका वास्तविक नाम  
अब्दुल हक वज्र मांझी ही सिफाई  
करना है

प्रार्थी

दिनांक

नेवाजी अली  
राज्य  
नाम परिवर्तन बीसानवा  
न्यायन समिति-सईवा

हादी वज्र

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

Dir - प्राची अब्दुलहक डा पूर्व में (जमावदी) हादी नाम दर्ज है  
 जो जगद्व नाम है इसके सम्बन्ध बागमत में अब्दुलहक नाम है  
 ज्ञात : इसका मुश् नाम अब्दुलहक इतने कि अनुशंका है नहीं है।

*(Handwritten signature)*  
 श्री. अ. नि.

*(Handwritten signature)*  
 पटवारी

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

पटवारी व. भू.अ. निरीक्षण की जांच रिपोर्ट पर  
 भाग के व्हां पर सलज्ज साक्ष्य द्वारा प्रमाण के  
 आधार पर प्राची का नाम "हादी पुत्र मोझी"  
 के स्थान पर "अब्दुलहक पुत्र मोझी" इस्ते  
 करने की सिफारिश की जाती है।

*(Handwritten signature)*  
 तहसीलदार (भू.अ.) सेइवा

आदेश

तहसीलदार सेइवा, ICR सभला, पटवारी इल्का बीसावर से प्राप्त जांच  
 रिपोर्ट एवं प्राची द्वारा प्राथमिक पत्र के संलग्न पत्र वस्तुवजो के  
 आधार पर प्राची का पत्र लीकार कर प्राची का नाम हादी  
 पुत्र मोझी के स्थान पर अब्दुलहक पुत्र मोझी इस्तेफले का  
 किया जाता है। उपरोक्तानुसार सारस्व रेकॉर्ड में अमलदारमद  
 कले का TDR सेइवा को कोषित किया जाता है। प्राक्लि फसल  
 इस्तेफले कर दाखिल दफतर हो।



उप खण्ड अधिकारी  
*(Handwritten signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चौहटन